तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की T.I. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण में वर्णित भूमि बेलार के खसरा नं. 353 रकबा 1.60 है० सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 347, 352 कुल रकबा 20.40 हेक्टेयर में निहित प्रार्थिनी के अविभाजित हिस्से के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति जारी रखे जाने बाबत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या रा० वि० 24/2013 मीनाक्षी बनाम देवाराम में दिनांक 18-5-2017 को मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत वाद 25/2013 वर्तमान में लंबित है। इस प्रकार मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद प्रार्थिया द्वारा पुन: उसी भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन किया है। जिस आवेदन पर न्यायिक दृष्टि से पुन: अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य नही है। लिहाजा प्रा० पत्र प्रार्थिया धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद 25/2013 के साथ संलग्न होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner